कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश

प्रगति भवन, तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–I
फैक्सः 0755–2766315 फोनः 0755–2674318, 2674226
pccfwl@mpforest.org pccfwl@mp.gov.in,

क्रमांक / संरक्षण / 14 / ले-3/अ/2014/05/ 4795 भोपाल,दिनॉक 06/08

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, प्रोजेक्ट टाईगर,
मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), ग्वालियर / इंदौर,
संचालक, माधव / वनविहार राष्ट्रीय उद्यान,
वनमण्डलाधिकारी वन्यप्राणी वनमण्डल, सागर / कूनोपालपुर,
समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय),
समस्त टाइगर स्ट्राइक फोर्स (सागर / जबलपुर / सतना / इंदौर / होशंगाबाद)
क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वनविकास निगम (भोपाल / जबलपुर),
मध्यप्रदेश.

विषयः– वन्यप्राणियों के शिकार प्रकरणों की जॉच में उचित प्रकिया अपनाए जाने के संबंध में।

संदर्भः–
1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 17 / 6838 दिनॉक 27.12.2012.
2. पत्र क्रमांक / 17 / 2770 दिनॉक 09.05.2013.
3. पत्र क्रमांक / 17 / 2826 दिनॉक 15.05.2013.
4. पत्र क्रमांक 17/3724 दिनॉक 26.06.2013.
5. पत्र क्रमांक / संरक्षण / 132 / 449 दिनॉक 21.01.2014.
6. पत्र क्रमांक 82 / 1905 दिनॉक 25.03.2014.
7. पत्र क्रमांक / 17 / 2461 दिनॉक 25.04.2014.
8. पत्र क्रमांक / 17 / 3762 दिनॉक 27.06.2014.

सदंर्भित पत्रों के द्वारा समय–समय पर यह निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि वन्यप्राणियों की मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के द्वारा बाघ, तेंदुआ के लिए जारी स्टेंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीर्ज्ड (SOP) के अनुसार जॉच सुनिश्चित की जाए। ऐसे प्रकरणों में भी जहॉ प्रथम दृष्टया वन्यप्राणी की मृत्यु स्वाभाविक प्रतीत होती हो, उनमें भी SOP में दी गई प्रक्रिया अनुसार जॉच की जाना है एवॅ इस जॉच में साक्ष्यों के आधार पर यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि वन्यप्राणी की मृत्यु स्वाभाविक है, तभी इसे स्वाभाविक माना जाएगा।

यह भी देखा जा रहा है कि क्राइम सीन से आवश्यक फारेंसिक साक्ष्य एकत्र नहीं किए जा रहे हैं। इस कार्यालय द्वारा वाइल्ड लाईफ फारेंसिक मैनुअल की प्रतियॉ हिन्दी में भेजी गई है तथा दस्तावेज SOP के साथ ही इसे भी विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा इन दस्तावेजों का अभी तक ध्यानपूर्वक

P/C

अध्ययन नहीं किया गया है। कृपया इसे स्वयं देखें एवँ मैदानी अमले को उपलब्ध कराएँ। टीप करें कि भविष्य में यदि वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों की जॉच में किसी प्रकार की कोताही पाई जाती है तो संबंधितों पर कार्यवाही हो सकती है।

कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनमें यह पाया गया है कि मृत वन्यप्राणियों का पोस्टमार्टम कराकर शारीरिक अवयव प्रयोगशाला को भेजे गए हैं, परन्तु जिन बिन्दुओं पर प्रतिवेदन चाहिए उसका उल्लेख प्रयोगशाला को भेजे जानेवाले मेमों में नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर एक प्रकरण में प्रारंभिक जॉच में तेंदुए की मृत्यु का कारण विद्युत करंट बताया गया था। इस मृत तेंदुए के चमडे को फारेंसिक लैब भेजा गया, परन्तु मेमों स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रयोगशाला के द्वारा मात्र यह प्रतिवेदन दिया गया कि भेजा गया चमड़ा तेंदुए का है। विद्युत करंट से मारे जाने अथवा नहीं मारे जाने के संबंध में प्रतिवेदन में कोई टिप्पणी नहीं की गई।

जब मृत वन्यप्राणी पाया जाता है तो उसके पोस्टमार्टम के दौरान दो प्रकार के सेंपल एकत्र किए जाने चाहिए, विभिन्न शारीरिक अवयवों की बीमारी की जॉच के लिए तथा चमड़ा फारेंसिक जॉच के लिए। पोस्टमार्टम करने वाले वन्यप्राणी/पशुचिकित्सक को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सर्वप्रथम वन्यप्राणी के शरीर पर पाए जाने वाले समस्त निशान, घाव, फेक्चर कंटयूशन आदि के फोटोग्राफ्स और माप लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल करें। फारेंसिक जॉच के लिए इन साक्ष्यों को प्रयोगशाला मे भेजे जाने के समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति एवँ फोटोग्राफ्स निश्चित रूप से भेजे जाएँ एवँ मेमों में उन सभी बिन्दुओं का उल्लेख करें जिस पर जॉच की जाना है। इसके अतिरिक्त घटनास्थल एवँ प्रकरण के संबंध में प्रारंभिक जॉच मे पाए गए बिन्दुओं का उल्लेख कर एक प्रतिवेदन भी भेजा जाना चाहिए। आपके द्वारा यदि यह कार्यवाही पूरी नहीं की जाती, तब ऐसी संभावना बनी रहेगी कि प्रयोगशाला से आपको उपयोगी जॉच प्रतिवेदन प्राप्त न हो।

इस कार्यालय के पत्र कमांक/संरक्षण/47/2944 दिनॉक 20.05.2014 से विभिन्न शारीरिक अवयवों के संग्रहण की विधि संबंधी मार्गदर्शिका आप लोगों की ओर प्रेषित की जा चुकी है, सामान्यतः वन्यप्राणी चिकित्सक/पशुचिकित्सक इनसे भिज्ञ हैं, परन्तु यह दस्तावेज कर्मचारियों के साथ--साथ वन्यप्राणी/पशु चिकित्सकों को भी उपलब्ध कराएँ।

5/8/14

(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवँ मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0कमांक / संरक्षण / 14 / तेन्डुआ / 2014 / 05 / 4796 भोपाल,दिनॉक 06/08/14

प्रतिलिपिः– डॉ0ए0बी0श्रीवास्तव, प्रोफेसर एण्ड हेड, सेंटर फॉर वाइल्ड लाईफ फॉरेंसिक हैल्थ, नानाजी देशमुख कृषि विश्वविद्यालय कैंपस, जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवॅ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवॅ मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल